232

संख्या– 1882/XVIII(II)/2012–2(01)/10

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. अध्यक्ष, राजस्व परिषद,
   उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त,
   गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तराखण्ड।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 19 जुलाई, 2012

विषय–गवर्नमेन्ट ग्रान्ट एक्ट, 1895 के प्राविधानों के अंतर्गत कृषि प्रयोजन के लिए दिये गये भूमि पट्टों के पट्टेदारों को भूमि का मालिकाना हक/विक्रय का अधिकार दिए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–761/XVIII(II)/12–2(01)2010 दिनांक–30.5.2012 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस शासनादेश के अनुरूप संबंधित पट्टाधारकों को मालिकाना हक/विक्रय का अधिकार दिए जाने में कतिपय कठिनाईयां संज्ञान में आई हैं। इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दि0–30.5.2012 में उल्लिखित शर्त सं0–2 में इंगित देय प्रीमियम की धनराशि दि0–9.9.2000 को लागू सर्किल रेट के 1/10 के स्थान पर 1/20 एवं निर्धारित अवधि 6 माह को बढ़ाकर एक वर्ष की जाती है।

शासनादेश दि0–30.5.2012 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाएगा एवं शासनादेश की अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव।

पृ0प0सं0 1882(1)/ समदिनांकित 2012

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 राजस्व मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. प्रभारी मीडिया केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।

1190GO